उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों को 23 से 25 मार्च 2020 तक लॉक डाउन करने के निर्देश दिए। यह जनपद निम्नलिखित हैं:

- लखनऊ
- गौतम बुद्ध नगर
- ग़ाज़ियाबाद
- आज़मगढ़
- आगरा
- वाराणसी
- प्रयागराज
- लखीमपुर खीरी
- मुरादाबाद
- बरेली
- कानपुर नगर
- मेरठ
- गोरखपुर
- अलीगढ़
- सहारनपुर
- पीलीभीत

आवश्यक सेवायों को छोड़ कर समस्त सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों , अर्ध सरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगम/ मण्डल, समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, दुकानों, फ़ैक्टरी, वर्क शॉप, गोदामों एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज़, सिटी परिवहन, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा) आदि को लॉक डाउन करने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिन सेवायों को **आवश्यक सेवायों** में सम्मिलित किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- चिकित्सा शिक्षा गृह एवं गोपन
- कारागार प्रशासन एवं सुधार
- पुलिस एवं सशस्त्र बल
- अर्ध सैनिक बल
- कार्मिक विभाग
- ज़िला प्रशासन
- ऊर्जा (समस्त बिजली कार्यालय एवं बिलिंग केंद्र)
- नगर विकास
- खाद्य एवं रसद (फल, सब्ज़ी, दूध, डेरी, किराना, पेयजल)
- आपदा एवं राहत
- राज्य सम्पत्ति विभाग
- सूचना एवं जन सम्पर्क
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अग्नि शमन
- सिवल डिफ़ेन्स
- आपात क़ालीन सेवाएँ

- टेलेफ़ोन
- इंटरनेट
- डेटा सेंटर
- नेटवर्क सर्विस
- आईo टीo एनेबल्ड सर्विस
- आईo टीo सम्बंधित सेवाएँ
- ऐसे डेटा सेंटर जो आईo टीo सर्विस के संचालन के लिए आवश्यक हैं
- डाक सेवाएँ
- बैंक
- एo टीo एमo
- बीमा कम्पनी
- ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रोसेरी)
- प्रिण्ट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया
- पेट्रोल पम्प
- एलo पीo जीo गैस
- ऑइल एजेन्सी (इनसे सम्बंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
- दवा की दुकान
- चिकित्सिकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयाँ
- आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन
- खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बंधित निर्माण इकाइयाँ एवं उनके थोक तथा फ़ुटकर विक्रेता
- पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बंधित इकाइयाँ तथा विक्रेता आदि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (वर्क फ़्रोम होम) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फ़ील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बंधित विभाग के अपार मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, ज़िला कलेक्टर या सम्बंधित ज़िला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे।इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कर्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज़, सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि के अंतर्राज्यीय (inter-state) तथा अंतराराज्यीय (intra-state) संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में ज़िला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेगा। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ने ढुलाई करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकता अनुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) तथा सम्बंधित जनपद के ज़िला कलेक्टर/पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं सम्बंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किए जाएँगे।

बंद की अवधि के दौरान पाँच (5) से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ एकत्रित होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संघोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाज़ारों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन आदि भी निषिद्ध रहेगा। यदि किसी स्थापना/ सेवा के सम्बंध में

यह भ्रम हो की वह आवश्यक सेवायों में आता है अथवा नहीं, तो उसके सम्बंध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बंधित जनपद के ज़िला मजिस्ट्रेट को होगा।

सभी जनपदों के ज़िलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर ज़िलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एतत्द्वारा अपने क्षेत्र में इन निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरतापूर्वक अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इन अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सम्बंध में पूर्व निर्गत आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश/ स्पष्टीकरण निर्गत करेगी। इन आदेशों की अव्हेलना की स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।